

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष: 0141-271-3022

क्रमांक :- प.2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रा.संचालन/2010-11/पार्ट 2016-17/8657 जयपुर, दिनांक 16-6-2017

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक एफ 2 (9) अ.स.निदे/कन्या छात्रावास संचालन/2010-11/3251 दिनांक 14.02.2011 में "राजकीय महाविद्यालय महिला छात्रावास संचालन नियम-2010" के नियम भाग-1 नियम 3 के बिन्दु संख्या 1 के परिपेक्ष में, शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश हेतु कक्षा 9 से उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी पात्र होंगे।
2. उक्त के अतिरिक्त विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (9) अ.स.निदे/कन्या छात्रावास संचालन / 2010-11/3251 दिनांक 14.02.2011 एवं क्रमांक 3676 दिनांक 30.07.2011 तथा क्रमांक प. 101/छात्रावास संचालन/डी.डी.-1/अ.मा.वि./2012 पार्ट-II/4665-66 दिनांक 06.07.2015 में वर्णित अन्य सभी प्रावधान यथावत प्रभावित रहेंगे।

(कैलाश बैरवी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प.2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रा.संचालन/2010-11/पार्ट 2016-17/8558-8605 जयपुर, दिनांक 16-6-2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात।
8. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/उपनिदेशक (एमएसडीपी)/सहायक निदेशक द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
9. लेखाधिकारी/लेखाशाखा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
10. सहायक निदेशक (चतुर्थ), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक